संख्या-15/2018/ 437**/तीस-4-2018-02(सा0)/18**

प्रेषक,

डा0 राकेश वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 26 मार्च, 2018**

विषयः निष्प्रयोज्य घोषित कुल 06 वाहनो के सापेक्ष 06 **अदद नये वाहन क्रय किये जाने की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11 स्टोर्स/इन्फ/2013-टीकवर/2012, दिनांक 22-03-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग में निष्प्रयोज्य घोषित कुल 06 वाहनों (¼यू0पी0 32/एच-0585, कार यू0पी0 32/एडब्ल्यू-3685, यू0पी0 32/एन-8169, यू0पी0 32/वाई-5393, यू0पी0 32/एल-6663 एवं यू0पी0 32/वाई-5391) के प्रतिस्थापन में कुल 05 अदद जीप बोलेरो एलएक्स 2 डब्ल्यू डी बीएस 4 कर सहित मूल्य रू0 6,61,579.00 की दर से कुल रू0 33,07,895.00 (तैंतिस लाख सात हजार आठ सौ पिच्चानवे रूपये) तथा 01 अदद कार मेक सियाज डेल्टा, पेट्रोल मूल्य रू0 7,29,401;42 अर्थात कुल रू0 40,37,296;42 (चालीस लाख सैंतिस हजार दो सौ छियानवे रूपये बयालिस पैसे) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त वाहनों का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों, वाहन की गुणवत्ता एवं Gem **दर एवं** Gem **दरों की वैधता की अवधि सुनिश्चित कर की जायेगी।**

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित उक्त वाहनों के स्थान पर पूर्व में नये वाहन क्रय न किये गये हों।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-43 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखा शीर्षक-3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या-ई-9-142/दस-2018, दिनांक 26 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(डा0 राकेश वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-15/2018/437(1)/तीस-4-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।**
2. **महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।**
3. **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
4. **वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।**
5. **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 ।**
6. **निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**
7. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
ह0/-
(डा0 राकेश वर्मा)
विशेष सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in